



An Initiative by **अमरउजाला**

# INDIAN POLITY BY- SUJEET BAJPAI SIR



# Question No: 1

Which Article of the Indian Constitution eradicate untouchability and prohibits its practice in any form?

(a) Article 16  $\Rightarrow$  eq. of opportunity

☒ (b) Article 17  $\Rightarrow$  Ab. of Titles

(c) Article 18  $\Rightarrow$  dis (5)

(d) Article 15  $\Rightarrow$  proh.

# Question No: 2

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है?

- (a) अनु. 16
- (b) अनु. 17
- (c) अनु. 18
- (d) अनु. 15

# Question No: 2

Which one of the following is not included in the fundamental right to equality as enshrined in the Indian Constitution?

(a) Equality before law

(b) Social equality

(c) Equal opportunity

☒ (d) Economic equality

Art - 14  
Art - 17 & 15  
Art - 16

# Question No: 2

भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है?

- (a) कानून के समक्ष समानता
- (b) सामाजिक समानता
- (c) अवसर की समानता
- (d) आर्थिक समानता

# Question No: 3



Which of the following is given the power to enforce the Fundamental Rights by the Constitution?

- (a) All Courts in India
- (b) The Parliament
- (c) The President
- ☒ (d) The Supreme Court and High Courts



# Question No: 3

निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है?

- (a) भारत के सभी न्यायालयों को
- (b) संसद को
- (c) राष्ट्रपति को
- (d) [सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को]



# Question No: 4

'मौलिक अधिकार' क्या हैं?

- (a) वाद योग्य
- (b) अ-वाद योग्य
- (c) लचीले
- (d) कठोर

# Question No: 4

“Fundamental Rights’ are:

- ~~(a) Justifiable~~
  - (b) Non-justifiable
  - (c) Flexible
  - (d) Rigid
- (d)

# Question No: 5

Fundamental Rights –

- (a) Cannot be suspended X
- (b) Can be suspended by order of Prime Minister X
- (c) Can be suspended on the will of President X
- ☒ (d) Can be suspended during Emergency

↳ Art - 352

# Question No: 5

मौलिक अधिकार-

- (a) कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते
- (b) प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं
- (c) राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं
- (d) आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं

F.R.  $\Rightarrow$  ① R.L. to equality

→ Art - 14, 15, 16, 17, 18

Name  $\Rightarrow$  Substr & Prefix  
[ निकल कर  
C start = 1954

19(1)(a)

## 2. Right to freedom (Articles 19-22)

(a) Protection of six rights regarding freedom of: (i) speech and expression, (ii) assembly, (iii) association, (iv) movement, (v) residence, and (vi) profession (Article 19).

(b) Protection in respect of conviction for offences (Article 20).

(c) Protection of life and personal liberty (Article 21).

(d) Right to elementary education (Article 21A).

(e) Protection against arrest and detention in certain cases (Article 22).

[Rt. to Privacy]

[+ Rt. to Internet]



Art-20

↓  
(20(3))

No - ex - Post  
Double  
Jeopardy facts

No self

in criminalisation

1 Nov  
↓  
27


2 Nov

5 yr

भारतीय  
प्रजाप  
10 Nov



Art-22 ⇒ Preventive Detention  
(નિવારક નિરોધ)



3. Right  
against  
exploitation  
(Articles  
23–24)

(a) Prohibition of traffic in human beings and forced labour (Article 23).

4175 2141K

(b) Prohibition of employment of children in factories, etc.  
(Article 24).


#### 4. Right to freedom of religion (Article 25-28)

(a) Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion (Article 25).

(b) Freedom to manage religious affairs (Article 26).

(c) Freedom from payment of taxes for promotion of any religion (Article 27).

(d) Freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions (Article 28).




જાતિ જાતિ કે જે

5. Cultural and  
educational  
rights  
(Articles  
29–30)

(a) Protection of language, script and culture of minorities  
(Article 29).

(b) Right of minorities to establish and administer  
educational institutions (Article 30).



6. Right to Right to move the Supreme Court for the enforcement of constitutional fundamental rights including the writs of (i) habeas corpus, remedies (ii) mandamus, (iii) prohibition, (iv) certiorari, and (v) quo war-rento (Article 32). (Article 32)

§

Art- 32

& Art 226

SC

HC

FR 51 उचित  
Ambedkar Violation  
[Heart & Soul of Ind. Const.]



1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

- (a) विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)।
- (b) धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)।
- (c) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)।
- (d) अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध (अनुच्छेद 17)।
- (e) सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाए सभी उपाधियों पर रोक (अनुच्छेद 18)।

## 2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

- (a) छह अधिकारों की सुरक्षा (I) वाक् एवं अभिव्यक्ति, (II) सम्मेलन, (III) संघ, (IV) संचरण, (V) निवास, (VI) वृत्ति (अनुच्छेद 19)।
- (b) अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)।
- (c) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)।
- (d) प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21)।
- (e) कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)।



3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

(a) बलात् श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)।

(b) कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- (a) अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)।
  - (b) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)।
  - (c) किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)।

(d) कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)।

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार  
(अनुच्छेद 29-30)

(a) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा (अनुच्छेद 29)।

(b) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (अनुच्छेद 30)।

6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें शामिल याचिकाएं हैं—(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण, (ii) परमादेश, (iii) प्रतिषेध, (iv) उत्प्रेषण, (v) अधिकार पृच्छा (अनुच्छेद 32)।

# WRIT

HABEAS CORPUS

MANDAMUS

PROHIBITION

CERTIORARI

QUO-WARRANTO

न्यायिक आदेश

20

→ To Have the body of  
शरीर


→ [प्रमादेश]

→ We Command  
(SC | HC)

→ [अधिकार वृद्धा]



# INDIAN POLITY – 5 WRITS



## Right to Constitutional Remedies

# Habeas Corpus

- ❖ It is a Latin term which literally means ‘to have the body of’.
- ❖ It is an order issued by the court to a person who has detained another person, to produce the body of the latter before it.

## बंदी प्रत्यक्षीकरण ]

- ❖ यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'का शरीर होना'।
- ❖ यह एक ऐसे व्यक्ति को अदालत द्वारा जारी किया गया आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, इसके पहले बाद के शव को पेश करना है।



The court then examines the cause and legality of detention.

It would set the detained person free, if the detention is found to be illegal.

Thus, this writ is a bulwark of individual liberty against arbitrary detention.

- ❖ इसके बाद अदालत नजरबंदी के कारण और वैधता की जांच करती है ।
- ❖ यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कराएगा ।
- ❖ इस प्रकार, यह रिट मनमाने ढंग से नजरबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बांध है ।

The writ of habeas corpus can be issued against both public authorities as well as private individuals.

The writ, on the other hand, is not issued where the

(a) detention is lawful,

(b) the proceeding is for contempt of a legislature or a court,

(c) detention is by a competent court, and

(d) detention is outside the jurisdiction of the court.

बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है ।

दूसरी ओर, रिट जारी नहीं की जाती है जहां

- (क) निरोध वैध है,
- (ख) कार्यवाही विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए है,
- (ग) निरोध एक सक्षम न्यायालय द्वारा है, और (घ) निरोध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

# Mandamus

It literally means ‘we command’.

It is a command issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform.

# परमादेश

देते हैं।

इसका शाब्दिक अर्थ है 'हम आदेश'।

यह एक सरकारी अधिकारी को अदालत द्वारा जारी आदेश है जिसमें उनसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है कि वह असफल रहे हैं या करने से इनकार कर दिया है।

It can also be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or government for the same purpose.

The writ of mandamus cannot be issued:

- (a) against a private individual or body;
- (b) to enforce departmental instruction that does not possess statutory force;



इसे किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ भी इसी उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है।

मैंडमस की रिट जारी नहीं की जा सकती:

- (क) एक निजी व्यक्ति या शरीर के खिलाफ;
- (ख) विभागीय निर्देश लागू करने के लिए जिसके पास सांविधिक बल नहीं है;

- (c) when the duty is discretionary and not mandatory;
- (d) to enforce a contractual obligation;
- (e) against the president of India or the state governors;  
and
- (f) against the chief justice of a high court acting in  
judicial capacity.

- (ग) जब कर्तव्य विवेकाधीन होता है और अनिवार्य नहीं होता है;
- (घ) संविदात्मक बाध्यता लागू करना;
- (ङ) भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध; और
- (च) न्यायिक हैसियत से कार्य करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ।

# Prohibition

Literally, it means 'to forbid'.

It is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess.

## प्रतिषेध

इसका अर्थ है 'मना करना' ।

यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है ताकि बाद को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोका जा सके या उस क्षेत्राधिकार को हड़प लिया जा सके जो उसके पास नहीं है ।

Thus, unlike mandamus that directs activity, the prohibition directs inactivity.

The writ of prohibition can be issued only against judicial and quasi-judicial authorities.

It is not available against administrative authorities, legislative bodies, and private individuals or bodies.



इस प्रकार, गतिविधि को निर्देशित करने वाले मंडमस के विपरीत, निषेध निष्क्रियता को निर्देशित करता है।

निषेध की रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के खिलाफ जारी की जा सकती है ।

यह प्रशासनिक प्राधिकारियों, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है ।

# Certiorari

In the literal sense, it means ‘to be certified’ or ‘to be informed’.

It is issued by a higher court to a lower court or tribunal either to transfer a case pending with the latter to itself or to squash the order of the latter in a case.

## उत्प्रेषण

- ❖ शाब्दिक अर्थों में, इसका अर्थ है 'प्रमाणित होना' या 'सूचित किया जाना' ।
- ❖ यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या अधिकरण को जारी किया जाता है या तो बाद में लंबित मामले को स्थानांतरित करने के लिए या किसी मामले में बाद के आदेश को स्ववैश करने के लिए।

It is issued on the grounds of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law.

Thus, unlike prohibition, which is only preventive, certiorari is both preventive as well as curative.

यह क्षेत्राधिकार की अधिकता या क्षेत्राधिकार की कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है ।

इस प्रकार, निषेध के विपरीत, जो केवल निवारक है, प्रमाणितकर्ता निवारक और उपचारात्मक दोनों है।

Previously, the writ of certiorari could be issued only against judicial and quasi-judicial authorities and not against administrative authorities.

However, in 1991, the Supreme Court ruled that the certiorari can be issued even against administrative authorities affecting rights of individuals.

Like prohibition, certiorari is also not available against legislative bodies and private individuals or bodies.

पहले, सर्टिटोरी की रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती थी न कि प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ।

हालांकि, १९९१ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी सर्टिटोरी जारी की जा सकती है ।

निषेध की तरह, प्रमाणात्मक निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के खिलाफ भी प्रमाणात्मक रूप से उपलब्ध नहीं है ।



# Quo-Warranto

In the literal sense, it means ‘by what authority or warrant’.

It is issued by the court to enquire into the legality of claim of a person to a public office.

Hence, it prevents illegal usurpation of public office by a person.

अधिकारपृष्ठा

पृष्ठ ६।

शाब्दिक अर्थों में, इसका अर्थ है “किस प्राधिकार या वारंट द्वारा”। यह अदालत द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधानिकता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। इसलिए, यह एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद की अवैध रूप से हड़पना रोकता है।


The writ can be issued only in case of a substantive public office of a permanent character created by a statute or by the Constitution.

It cannot be issued in cases of ministerial office or private office.

Unlike the other four writs, this can be sought by any interested person and not necessarily by the aggrieved person.

यह रिट केवल किसी संविधि या संविधान द्वारा बनाए गए स्थायी चरित्र के मूल सार्वजनिक पद के मामले में ही जारी की जा सकती है। इसे मंत्री पद या निजी कार्यालय के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता।

अन्य चार रिट के विपरीत, यह किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है और जरूरी नहीं कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा।



7 freedom of Press  $\Rightarrow$  Art - 19(1)(A)

7 Rt. to Privacy  $\Rightarrow$  (21)

7 R.T.E.  $\Rightarrow$  21A  
[ 86<sup>th</sup> | 2002 ]



> Quo Warranto  $\Rightarrow$  By what Authority

> mandamus  $\Rightarrow$  We Command

> FR  $\Rightarrow$  Nature  $\begin{cases} +ve \\ -ve \end{cases}$